रजिस्टर्ड सं० डी०—222

REGISTERED No. D.-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 27, 1973/कार्तिक 5, 1895

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27, 1973/KARTIKA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 4, तारीख 30 जुलाई 1960 से उद्धरण)

रक्षा मंत्रालय

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय में

और

केन्द्रीय युद्धोत्तर पुनर्व्यवस्थापन निधि के विषय में

(यथा संशोधित)

का. नि. आ. 261.—यतः रक्षा मंत्रालय के पुनर्व्यवस्थापन निदेशालय के स्टाफ आफिसर ने, उपर्युक्त निधि के प्रशासक के रूप में और उस व्यक्ति के रूप में जो निधि को पूर्त उद्देश्यों के लिए न्यास में लगाने की प्रस्थापना करता है, आवेदन किया है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची "क" में उल्लिखित निधि को भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित किया जाए और उक्त निधि के प्रशासन के लिए स्कीम बनाई जाए ;

अतः, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यथापूर्वोक्त आवेदन पर और उक्त स्टाफ आफिसर 1 की सहमति से आदेश और निदेश देती है कि इसकी अनुसूची "क" में वर्णित धन, इस अधिसूचना के प्रकाशन से, भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित होगा और इसके पश्चात् निहित रहेगा और उक्त धन और उसकी आय को वे तथा उनके पदोत्तरवर्ती इसकी अनुसूची 'ख' में दी गई स्कीम में उपवर्णित न्यास निबन्धनों के अनुसार (पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए) न्यास के रूप में धारण करेंगे।

और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त आवेदन पर और उक्त स्टाफ आफिसर 1 की सहमति से, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त विन्यास के प्रशासन के लिए इसकी अनुसूची 'ख' में दी गई स्कीम बनाई है और उक्त अधिनियम को उक्त धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन यह भी आदेश किया जाता है कि यह इस अधिसूचना के प्रकाशन से प्रदत्त होगी।

अनुसूची 'क'

केन्द्रीय सरकार की युद्धोत्तर सेवा पुनर्गठन निधि में से 20, 32,529.47 रु. नकद विन्यास जो भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में, चालू खाते में जमा है।

अनुसूची 'ख'

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय में

और

केन्द्रीय युद्धोत्तर पुनर्व्यवस्थापन निधि के विषय में ऊपर उल्लिखित निधि के प्रशासन के लिए स्कीम

1. **परिभाषाएं.**—स्कीम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो

(क) 'निधि' से केन्द्रीय युद्धोत्तर पुनर्व्यवस्थापन निधि अभिप्रेत है ।

(ख) "वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

2. **निधि का उद्देश्य.**—निधि का उद्देश्य मुख्य रूप से उन क्षेत्र के जिनके लिए निधि का धन मूलतः आवंटित किया गया था भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपायों का संप्रवर्तन करना और वे सब अन्य बातें करना है जो उपरोक्त उद्देश्य की आनुषंगिक या साधक हों ।

3. **विस्तार.**—निधि के उद्देश्य का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

4. **निधि की आस्तियां.**—उस धन के अतिरिक्त जिसकी विशिष्टियां अनुसूची 'क' में दी गयी हैं, निधि की आस्तियों में सरकारी अनुदान तथा संदान और स्वेच्छया विन्यास, जब कभी दिए जाएं या प्राप्त किए जाएं, सम्मिलित हैं ।

5. **आस्तियों का निहित होना.**—निधि की आस्तियां जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनकी विशिष्टियां अनुसूची "क" में दी गयी हैं, भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में स्कीम के अधीन निहित होंगी ।

6. **निधि का प्रबन्ध.**—पूर्त विन्यास कोषपाल निधि के प्रबंध या प्रशासन का कार्य नहीं करेगा, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किन्हीं साधारण या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए ऐसा प्रबंध और प्रशासन इसमें इसके पश्चात् वर्णित प्रबंध समिति में निहित होगा और उसमें निहित रहेगा ।

7. **प्रबंध समिति.**—निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए एक प्रबंध समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

रक्षा मंत्री

सदस्य

राज्य मंत्री (रक्षा उत्पादन)

रक्षा उप-मंत्री

सचिव, रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव, (भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन का भार साधक)

वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय (रक्षा)

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायुसेनाध्यक्ष

एडजुटेंट जनरल, सेना मुख्यालय

महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन

सचिव

सचिव भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड

प्रबंध समिति को शक्ति प्राप्त होगी कि वह किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में सहयोजित करे ।

8. **प्रबंध समिति के सदस्यों के संबंध में उपबन्ध**

(क) जहां कोई व्यक्ति प्रबंध समिति का सदस्य अपने द्वारा धारित पद के कारण हो जाए वहां जब वह उस पद पर न रहे तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसका पदोत्तरवर्ती, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, उस रिक्ति में नामनिर्देशित किया गया समझा जाएगा ।

(ख) पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन रहते हुए, प्रबंध समिति का सदस्य उस दशा में ऐसा सदस्य नहीं रह जाएगा जब उसकी मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, विकृत चित्त हो जाए, दिवालिया हो जाए, नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करने वाले दण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष हो जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा हटा दिया जाए या अपने वर्तमान पद से स्थानान्तरित कर दिया जाए ।

(ग) सदस्यता से त्यागपत्र प्रबंध समिति के अध्यक्ष को दिया जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक समिति की ओर से अध्यक्ष द्वारा मंजूर न कर लिया जाए ।

(घ) उपरोक्त उपखण्ड (क) के अधीन रहते हुए, उपखण्ड (ख) में उल्लिखित कारणों में से किसी कारण से प्रबंध समिति में हुई किसी रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशन से भरा जाएगा ।

9. **कार्यकरण.**—प्रबंध समिति उपविधियों के अनुसार, कार्यार्थ बैठक कर सकेगी और अपनी बैठकों और कार्यवाहियों को स्थागित कर सकेगी और अन्यथा उनका विनियमन कर सकेगी । जब तक कि अन्यथा अवधारित न किया जाए, प्रबंध समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति बैठक में वैयक्तिक रूप से उपस्थित तीन सदस्यों से होगी । प्रबंध समिति की कोई बैठक जिसमें गणपूर्ति हो, समिति के सभी या कोई कृत्य करने के लिए सक्षम होगी । प्रत्येक मामले का अवधारण उपस्थित और प्रश्न पर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा । प्रबंध समिति के सचिव और संयुक्त सचिव को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा । मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा मामले का विनिश्चय किया जाएगा ।

10. **प्रबंध समिति के कृत्य.**—इस बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जो अपने पद के कारण सदस्य होने का हकदार है, तत्समय सदस्य न हो और प्रबंध समिति में किसी अन्य रिक्ति के होते हुए भी, प्रबंध समिति कार्य करेगी और उसका कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधि मान्य नहीं होगी कि उपर्युक्त घटनाओं में से कोई घटी या प्रबंध समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई त्रुटि रही ।

11. **उपविधियों का बनाया जाना.**—प्रबंध समिति निधि और उसके निष्पादन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपविधियां बनाएगी और समय समय पर उनमें परिवर्तन कर सकेगी या उन्हें विखण्डित कर सकेगी ।

12. **समितियों की नियुक्ति.**—प्रबंध समिति एक या अधिक समितियां जैसा आवश्यक समझा जाए, नियुक्त कर सकेगी ।

13. **शक्तियों का प्रत्यायोजन.**—प्रबंध समिति अपनी कोई भी शक्ति इस प्रकार नियुक्त किसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

14. **प्रबंध समिति के सदस्य सचिव और संयुक्त सचिव पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं.**—प्रबंध समिति या यथा पूर्वोक्त नियुक्त किसी अन्य समिति के सदस्य, सचिव और संयुक्त सचिव किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे, किन्तु ऐसी उपविधियों के अनुसार जो इस प्रयोजन के लिए प्रबंध समिति बनाए प्रबंध समिति या अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए की गई यात्राओं या उनके द्वारा निधि के प्रयोजन के लिए की गई यात्राओं की बाबत अपने वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे ।

15. **कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.**—ऐसे कर्मचारिवृन्द, जो प्रबंध समिति आवश्यक समझे, प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उनके पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की अवधि प्रबंध समिति द्वारा नियत की जाएगी । ऐसे कर्मचारिवृन्द पर किया गया व्यय निधि से पूरा किया जाएगा ।

16. **धन का जमा किया जाना.**—प्राप्त सभी धन भारतीय स्टेट बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य अनुसूचित बैंक में एक या अधिक खातों में जमा किया जाएगा ।

17. **लेखा और लेखापरीक्षा.**—निधि के सभी धन और सम्पत्ति का नियमित लेखा रखा जाएगा और उनकी लेखापरीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट या चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म या किसी अन्य मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा जिसे प्रबंध समिति नियुक्त करे, की जाएगी । लेखापरीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि निधि में से व्यय निधि के उद्देश्यों के अनुसार सही तौर पर किया गया है । निधि के वार्षिक लेखे की प्रतियां जो निधि के लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से लेखा परीक्षित और प्रमाणित हों, प्रत्येक वर्ष प्रबंध समिति को प्रस्तुत की जाएंगी ।

18. **निधि में लेनदेन.**—निधि में लेनदेन प्रबंध समिति की ओर से समिति के सचिव या संयुक्त सचिव और महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

19. **संविदाएं.**—सभी संविदाएं और हस्तान्तरणपत्र प्रबंध समिति के नाम में होंगे और उन पर उसकी ओर से समिति के सचिव या संयुक्त सचिव और महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

20. **निधि का प्रयोग.**—प्रबंध समिति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह निधि के धन को ऊपर उल्लिखित निधि के उद्देश्य पर खर्च करे ।

21. **निधि का उपयोजन.**—पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के उपबन्धों अधीन रहते हुए, प्रबंध समिति को निधि का नियंत्रण और प्रशासन करने की और उसका या उसके किसी भाग का जैसा वह निधि के उद्देश्य के लिए साधक समझे, उपयोजन करने की शक्ति होगी ।

22. **विक्रय और धन का विनिधान.**—संबंध समिति केन्द्रीय सरकार को अनुरोध कर सकेगी कि वह भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल को निदेश दे कि वह अपने में निहित निधि की किसी सम्पत्ति का विक्रय या अन्यथा व्ययन करे और, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से, सम्पत्ति के विक्रय या अन्य व्ययन के आगम को, और ऐसे धन या सम्पत्ति को, जिसका निधि के उद्देश्यों के लिए तुरन्त प्रयोग किया जाना अपेक्षित न हो, धन की ऐसी प्रतिभूति में जैसा प्रबंध समिति द्वारा प्रस्थापित और निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये या स्थावर सम्पत्ति के क्रय में विनिहित करे ।

23. **अतिरिक्त विन्यासों की प्राप्ति :**—प्रबंध समिति निधि धन और सम्पत्ति की वृद्धि के लिए या निधि के साधारण प्रयोजनों के लिए कोई अतिरिक्त विन्यास, संदान या अन्य अभिदाय प्राप्त कर सकेगी । यह इस स्कीम से संबंधित किसी विशेष प्रयोजन के लिए भी जो इस स्कीम के उपबन्धों से असंगत न हो या उसके सम्यक कार्यकरण में अड़चन डालने वाला न हो, विन्यास, संदान या अन्य अभिदाय प्राप्त कर सकेगी ।

जे. एस. लाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—अधिसूचना का अंग्रेजी रूपान्तर रक्षा मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई 1960 की का. नि. आ. संख्या 261 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका है ।

भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड 4 के उदाहरण

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय में

और

झंडा दिवस निधि के विषय में

का० नि० आ० 199 :—यतः रक्षा मंत्रालय के भारतीय सैनिक, नौ सैनिक और वायु सैनिक बोर्ड और झंडा दिवस निधि के सचिव ने, उस निधि के प्रशासक के रूप में निधि को पूर्त उद्देश्यों के लिये पास में लगाने की प्रस्थापना करते हुये आवेदन किया है कि इसकी अनुसूची "क" में उल्लिखित निधि को भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित किया जाये और उसके प्रशासन के लिये स्कीम बनाई जाये ।

अतः, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और पूर्वोक्त आवेदन पर और उक्त सचिव की सहमति से आदेश और निदेश देती है कि इसकी अनुसूची "क" में वर्णित धन, इस अधिसूचना के प्रकाशन से भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित होगा और इसके पश्चात् निहित रहेगा और उक्त धन और उसकी आय को वे तथा उनके पदोत्तरवर्ती इसकी अनुसूची "ख" में दी गई स्कीम में उपवर्णित न्यास निबन्धनों के अनुसार (पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर बनाये जाने वाले नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये) न्यास के रूप में धारण करेंगे ।

और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त आवेदन पर और उक्त सचिव की सहमति से, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त विन्यास के प्रशासन के लिये इसकी अनुसूची "ख" में दी गई स्कीम बनाई है और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन यह भी आदेश दिया जाता है कि यह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची "क"

केन्द्रीय सरकार की झंडा दिवस निधि की 34,74,085.42 रु० की राशि में निम्नलिखित हैं :—

	अंकित मूल्य रु०
I विनिधान	
3 प्रतिशत विकास ऋण 1970-75	3,29,000,00
3 प्रतिशत संपरिवर्तन ऋण 1986	3,70,000,00
10 वर्षीय खजाना बचत जमापत्र	1,00,000,00
12 वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचतपत्र	1,00,000,00

II नकद

	रुपये
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली में अल्पकालिक जमा	24,03,898.58
भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में चालू खाते में	1,21,186.84
III उपरोक्त I और II को जोड़कर निधि की कुल आस्तियां	34,24,085.42

अनुसूची "ख"

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय में

और

झंडा दिवस निधि के विषय में

ऊपर उल्लिखित निधि के प्रशासन के लिये स्कीम

1. **परिभाषायें**:—स्कीम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "निधि" से झंडा दिवस निधि अभिप्रेत है;

(ख) "वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

2. **निधि के उद्देश्य**:—निधि के उद्देश्य हैं:—भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का कष्ट कम करना और सशस्त्र बल में सेवा करने वालों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना।

3. **विस्तार**:—निधि के उद्देश्यों का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

4. **निधि की आस्तियां**:—उस धन के अतिरिक्त जिसकी निधारण अनुसूची "क" में दिया गया है, निधि की आस्तियों में सरकार के अनुदान तथा संदान और स्वैच्छया विन्यास जब कभी दिये जायें या प्राप्त किये जायें तब वे भी सम्मिलित है।

5. **आस्तियों का निहित होना**:—निधि की आस्तियां, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं, जिनका निधारण अनुसूची "ख" में दिया गया है भारत के पूर्त विन्यास के कोषपाल में स्कीम के अधीन निहित होंगी।

6. **निधि का प्रबन्ध**:—पूर्त विन्यास कोषपाल निधि के प्रबन्ध या प्रशासन का कार्य नहीं करेगा, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये किसी साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुये ऐसा प्रबन्ध और प्रशासन इसमें इसके पश्चात् वर्णित प्रबन्ध समिति में निहित होगा और उसमें निहित रहेगा।

7. **प्रबन्ध समिति** :—निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए प्रबंध समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

रक्षा मंत्री

उपाध्यक्ष

रक्षा उपमंत्री

सदस्य

सचिव, रक्षा मंत्रालय
वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय (रक्षा)
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष
डिप्टी एडजुटेंट जनरल, सेना मुख्यालय
महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन, रक्षा मंत्रालय

सचिव

सचिव, भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड

प्रबंध समिति को शक्ति प्राप्त होगी कि किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में सहायोजित करें।

8. **प्रबंध समिति के सदस्यों के संबंध में उपबंध** :—

(क) जहां कोई व्यक्ति प्रबंध समिति का सदस्य अपने द्वारा धारित पद के कारण हो जाये वहां, जब वह उस पद पर न रहे तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी और उसका पदोत्तरवर्ती, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाये, उस रिक्ति में नामनिर्देशित किया गया समझा जायेगा।

(ख) पूर्ववर्ती उपखण्ड के अधीन रहते हुए प्रबंध समिति का सदस्य, उस दशा में ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा जब उसकी मृत्यु हो जाये, या वह त्यागपत्र दे दे, विकृत चित्त हो जाये, दिवालिया हो जाये, नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करने वाले दांडित अपराध के लिए सिद्धदोष हो जाये या केन्द्रीय सरकार द्वारा हटा दिया जाये या अपने वर्तमान पद से स्थानान्तरित कर दिया जाये।

(ग) सदस्यता के त्यागपत्र प्रबंध समिति के अध्यक्ष को दिया जायेगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि समिति की ओर से अध्यक्ष द्वारा मंजूर न कर लिया जाये।

(घ) उपखण्ड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपखण्ड (ख) में उल्लिखित कारणों में से किसी कारण से प्रबंध समिति में हुई किसी रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशन से भरा जायेगा।

9. **कार्यकरण**.—प्रबंध समिति, उपविधियों के अनुसार कार्यों, बैठक कर सकेगी उन्हें स्थगित कर सकेगी और अपनी बैठकों और कार्यवाहियों का अन्य विनियमन कर सकेगी जब तक कि अन्यथा अवधारित न हो, प्रबंध समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति (बैठक में स्वयं उपस्थित) तीन सदस्यों से होगी। प्रबंध समिति की कोई बैठक जिसमें गणपूर्ति हो, समिति के सभी या कोई कृत्य करने के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक मामले का अवधारण उपस्थित और प्रश्न पर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। प्रबंध समिति के सचिव को मतदान का अधिकार नहीं होगा। मत बराबर होने की दशा में, मामले का विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा या उसके स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

10. **प्रबंध समिति के कृत्य** :—इस बात के होते हुए भी कि कोई व्यक्ति जो अपने पद के कारण प्रबंध समिति का सदस्य होने का हकदार हो, तत्समय सदस्य न हो अथवा समिति में कोई अन्य रिक्ति हो प्रबंध समिति कार्य करेगी और उस का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि उपर्युक्त घटनाओं में से कोई घटी या प्रबंध समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई त्रुटि रही।

11. **उपविधियों का बनाया जाना** :—प्रबंध समिति, निधि और उसके न्यासों के विनियमन और प्रबंध के लिए तथा उसके निष्पादन से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजनों के लिए उपविधियां

बनाएगी और समय-समय पर उनमें परिवर्तन कर सकेगी या उन्हें विखण्डित कर सकेगी

12. **समितियों की नियुक्ति** :—प्रबंध समिति, एक या अधिक समितियां, जैसा आवश्यक समझा जाये नियुक्त कर सकेगी ।

13. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** :—प्रबंध समिति अपनी कोई भी शक्ति इस प्रकार नियुक्त किसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

14. **प्रबंध समिति के सदस्य और सचिव पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं** :—प्रबंध समिति या यथापूर्वोक्त नियुक्त किसी अन्य समिति के सदस्य और सचिव किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे, किन्तु ऐसी उपविधियों के अनुसार जो इस प्रयोजन के लिए प्रबंध समिति बनाए, प्रबंध समिति या अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए की गई यात्राओं या उनके द्वारा निधि के प्रयोजन के लिए की गई यात्राओं की बाबत अपने वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे ।

15. **कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति** :—ऐसे कर्मचारिवृन्द, जो प्रबन्ध समिति आवश्यक समझे, प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे उनके पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की अवधि प्रबन्ध समिति द्वारा नियत की जाएगी । ऐसे कर्मचारिवृन्द पर किया गया व्यय निधि से पूरा किया जाएगा ।

16. **धन का जमा किया जाना** :—प्राप्त सभी धन भारतीय स्टेट बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य अनुसूचित बैंक में एक या अधिक खातों में जमा किया जाएगा ।

17. **लेखा और लेखापरीक्षा** :—निधि के सभी धन और सम्पत्ति का नियमित लेखा रखा जाएगा और उनकी लेखापरीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट या चार्टर्ड एकाउण्टेंटों की फर्म या किसी अन्य मान्यता-प्राप्त लेखा परीक्षक द्वारा जिसे प्रबंध समिति नियुक्त करे, की जाएगी । लेखा परीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि निधि में से व्यय निधि के उद्देश्यों के अनुसार सही तौर पर किया गया है । निधि के वार्षिक लेखे की प्रतियां जो निधि के लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक रूप से लेखा परीक्षित प्रमाणित हों प्रत्येक वर्ष प्रबंध समिति को प्रस्तुत की जाएगी ।

18. **निधि में लेन देन** :—निधि में लेन देन प्रबंध समिति की ओर से समिति के सचिव और महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

19. **संविदाएं** :—सभी संविदाएं और अन्य अरतान्तरण पत्र प्रबंध समिति के नाम में होंगे और उन पर उसकी ओर से समिति के सचिव और महानिदेशक पुनर्व्यवस्थापन द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

20. **निधि का प्रयोग** :—प्रबंध समिति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह निधि के धन को उपर उल्लिखित निधि के उद्देश्यों पर खर्च करे ।

21. **निधि का उपयोजन** :—पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रबंध समिति को निधि का नियंत्रण और प्रशासन करने की और उसे या उनके किसी भाग का, जैसा वे निधि के उद्देश्यों के लिए साधक समझे, उपयोजन करने की शक्ति होगी ।

22. **विक्रय और धन का विनिधान**—प्रबंध समिति अनुशंध कर सकेगी कि यह निदेश दे कि भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल अपने में निहित निधि की किसी सम्पत्ति का विक्रय या अन्यथा व्ययन करे और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से सम्पत्ति के विक्रय या अन्य व्ययन के आगम को, और ऐसे धन या सम्पत्ति को, जिसका निधि के उद्देश्यों के लिए तुरन्त प्रयोग किया जाना अपेक्षित न हो, धन की ऐसी प्रतिभूति में जैसा प्रबंध समिति द्वारा प्रस्थापित और निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय या सम्पत्ति के क्रय में विनिहित करे ।

23. **अतिरिक्त विन्यासों की प्राप्ति** :—प्रबंध समिति निधि के किसी धन या सम्पत्ति की वृद्धि के लिए या निधि के साधारण प्रयोजनों के लिए कोई अतिरिक्त विन्यास, संदान या अन्य अभिदाय प्राप्त कर सकेगी । वह इस स्कीम से संबंधित किसी विशेष प्रयोजनों के लिए भी, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हों और उसके सम्यक कार्यकरण में अड़चन डालने वाला न हो, विन्यास, संदान या अन्य अभिदाय प्राप्त कर सकेगी ।

[फा. सं. 136(5)-60-62/आई एस एस ए बी]

एस. देवानाथ, उपसचिव

टिप्पणी:—अधिसूचना का अंग्रेजी रूपान्तर रक्षा मंत्रालय की दिनांक 20 जुलाई 1962 के का. नि. आ. संख्या 199 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका है ।

भारत के राजपत्र, नई दिल्ली, तारीख 8 जून 1963 से उद्धरण

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई 1963

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय में

और

भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि के विषय में

का. नि. आ. 180.—यतः भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड के सचिव ने, उस विधि के प्रशासक के रूप में निधि को पूर्त उद्देश्यों के लिए न्यास में लगाने की प्रस्थापना करते हुए, आवेदन किया है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची 'क' में उल्लिखित निधि को भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित किया जाए और उसके प्रशासन के लिए स्कीम बनाई जाए,

अतः, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यथापूर्वोक्त आवेदन पर और उक्त सचिव की सहमति के आदेश और निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची "क" में वर्णित धन, इस अधिसूचना के प्रकाशन से भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित होगा और इसके पश्चात निहित रहेगा और उक्त धन और उसकी आय को वे तथा उनके पदोत्तरवर्ती उससे उपाबद्ध अनुसूची "ख" में दी गई स्कीम में उपवर्णित न्यास निबंधनों के अनुसार (पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए) न्यास के रूप में धारण करेंगे ।

और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त आवेदन पर और उक्त सचिव की सहमति से, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त विन्यास के प्रशासन के लिए इससे उपाबद्ध अनुसूची "ख" में दी गई स्कीम बनाई है और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन यह भी आदेश किया जाता है कि यह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची "क"

भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि की 5,28,603 रु० की राशि में निम्नलिखित है:—

I विनिधान	अंकित मूल्य रु०
3 प्रतिशत विकास ऋण 1970–75 . .	3,82,000
12 वर्षीय राष्ट्रीय बचतपत्र . . .	1,00,000
कुल रु० . . .	4,82,000
II नकद	रुपये
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में अल्पकालिक जमा	38,723.76
100 रु० प्रत्येक की दर से इनामी बांड	500.00
भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली में चालू खाते में	7,390.93
III उपरोक्त I और II को जोड़कर निधि की कुल आस्तियां	5,28,614.69

अनुसूची "ख"

पूर्त विन्यास अधिनियम 1890 के विषय में

और

भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि के विषय में

ऊपर उल्लिखित निधि के प्रशासन के लिये स्कीम

1. **परिभाषाएं**:—स्कीम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "निधि" से भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(ख) "वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

निधि के उद्देश्य.—(क) निधि का उपयोग मुख्य रूप से ऐसे अनुदान करने में किया जाएगा जो उन गरीबों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिणिक कल्याण में कार्य वृद्धि करें जिन्होंने कि रैंक में या रक्षा सेवाओं में अभ्यार्थशित आयोधक के रूप में वस्तुतः सेवा की हो या सशस्त्र बलों में सेवा कर रहे हों और इसका उपयोग ऐसे व्यक्तियों के कुटुम्बों और आश्रितों के फायदे के लिए तथा विधवाओं अनाथों और निराश्रितों की सहायता करने के लिए भी किया जाएगा। कोई अन्य गोरखा भूतपूर्व सैनिक जो स्थायी रूप में भारत में बस गया हो या उसका आश्रित या भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने वाला भारत का निवासी कोई गोरखा या उसका आश्रित भी, रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किन्हीं, नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निधि में से सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।

(ख) निधि का उपयोग सामान्यतः निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा:—

(1) किसी ऐसी स्कीम को वित्तीय सहायता देना जिसका उपबंध करना स्पष्ट रूप से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है,

(2) सेवाओं या राज्यों में किसी अन्य निधि के लिए आरक्षित का उपबंध करना

(3) अस्थायी स्कीमों को वित्तीय सहायता देना।

3. **विस्तार**—निधि के उद्देश्यों का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

4. **निधि की आस्तियां**—उस धन के अतिरिक्त जिसका विवरण अनुसूची "क" में दिया गया है, निधि की आस्तियों में सरकार अनुदान तथा संदान और स्वेच्छया विन्यास जब कभी दिए जाएं या प्राप्त किए जाएं, तब वे भी सम्मिलित हैं।

5. **आस्तियों का निहित होना**—निधि की आस्तियां, जिन में वे भी सम्मिलित हैं जिनका विवरण अनुसूची "क" में दिया गया है, भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में स्कीम के अधीन निहित होंगी।

6. **निधि का प्रबंध**—पूर्त विन्यास कोषपाल निधि के प्रबंध या प्रशासन का कार्य नहीं करेगा, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए ऐसा प्रबंध और प्रशासन इसमें इसके पश्चात वर्णित प्रशासन समिति में निहित होगा और उसमें निहित रहेगा।

7. **प्रशासन समिति**.—निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए एक प्रशासन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे।

अध्यक्ष

सचिव, रक्षा मंत्रालय

उपाध्यक्ष

संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

(पुनर्व्यस्थापन का भारसाधक)

सदस्य

एडजुटेंट जनरल, सेना मुख्यालय महानिदेशक, पुनर्व्यस्थापन, रक्षा मंत्रालय, चीफ आफ पर्ससनल, नौसेना मुख्यालय,

एयर आफिसर इनचार्ज कार्मिक और संगठन, वायुसेना मुख्यालय, वित्त मंत्रालय (रक्षा) का एक प्रतिनिधि:

उप सचिव, रक्षा मंत्रालय (पुनर्व्यवस्थापन का भारसाधक)

अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगम

श्रीमती माया देवी चेत्री, संसद सदस्य

सचिव

सचिव, भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड।

8. **प्रशासन समिति के सदस्यों के संबंध में उपबंध**—(क) जहां कोई व्यक्ति प्रशासन समिति का सदस्य अपने द्वारा धारित पद के कारण हो जाए वहां जब वह उस पद पर न रहे तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसका पदोत्तरवर्ती जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए उस रिक्ति में नाम निर्देशित किया गया समझा जाएगा।

(ख) पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन रहते हुए, प्रशासन समिति का सदस्य, उस दशा में ऐसा सदस्य नहीं रह जाएगा जब उसकी मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, विकृत चित्त हो जाए, दिवालिया हो जाए, नैतिक अधमता को अन्तर्वर्तित करने वाले दंडिक अपराध के लिए सिद्धदोष हो जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा हटा दिया जाए या अपने वर्तमान पद से स्थानान्तरित कर दिया जाए।

(ग) सदस्यता से त्यागपत्र प्रशासन समिति के अध्यक्ष को दिया जाएगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि समिति की ओर से अध्यक्ष द्वारा मंजूर न कर लिया जाए।

(घ) उपरोक्त उपखण्ड (क) के अधीन रहते हुए, उपखण्ड (ख) में उल्लिखित कारणों में से किसी कारण से प्रशासन समिति में हुई किसी रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशन से भरा जाएगा ।

9. **कार्यकरण.**—प्रशासन समिति उपविधियों के अनुसार कार्यार्थ बैठक कर सकेगी और अपनी बैठकों और कार्यवाहियों का अन्य विनियमन कर सकेगी । प्रशासन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी । प्रशासन समिति की कोई बैठक, जिसमें गणपूर्ति न हो, समिति के सभी या कोई कृत्य करने के लिए सक्षम होगी । प्रत्येक मामले का अवधारण उपस्थित और प्रश्न पर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा । प्रशासन समिति के सचिव को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा । मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा ।

10. **प्रशासन समिति के कृत्य.**—इस बात के होते हुए भी कि कोई व्यक्ति, जो अपने पद के कारण प्रशासन समिति का सदस्य होने के हकदार हो, तत्समय सदस्य न हो अथवा समिति में कोई अन्य रिक्ति हो गई हो प्रशासन समिति कार्य करेगी और उसका कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उपर्युक्त घटनाओं में से कोई घटी या प्रशासन समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई त्रुटि रही ।

11. **उपविधियों का बनाया जाना.**—प्रशासन समिति निधि और उसके न्यासों के विनियमन प्रबंध और उसके निष्पादन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपविधियां बनाएगी और समय समय पर उनमें परिवर्तन कर सकेगी या उनमें परिवर्तन कर सकेगी या विखण्डित कर सकेगी ।

12. **प्रशासन समिति के सदस्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं.**—प्रशासन समिति के सदस्य और सचिव किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे किन्तु प्रशासन समिति की बैठकों में हाजिर होने के लिए की गई यात्राओं की बाबत वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे ।

13. **कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.**—ऐसे कर्मचारिवृन्द जो प्रशासन समिति आवश्यक समझे प्रशासन समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे । प्रशासन समिति द्वारा नियुक्त किए गए किसी कर्मचारिवृन्द का पारिश्रमिक प्रशासन समिति द्वारा नियत किया जाएगा ।

14. **धन का जमा किया जाना.**—प्राप्त सभी धन भारतीय स्टेट बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य अनुसूचित बैंक में एक या अधिक खातों में जमा किया जाएगा ।

15. **लेखा और लेखापरीक्षा.**—निधि के सभी धन और सम्पत्ति का नियमित लेखा रखा जाएगा और उनकी लेखापरीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट या चार्टर्ड एकाउण्टेंटों की फर्म या किसी अन्य मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा जिसे प्रशासन समिति नियुक्त करे, की जाएगी, लेखापरीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि निधि में से व्यय निधि के उद्देश्यों के अनुसार सही तौर पर किया गया है । निधि के वार्षिक लेखे की प्रतियां जो निधि के लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से लेखापरीक्षित और प्रमाणित हों, प्रत्येक प्रशासन समिति को प्रस्तुत की जाएगी ।

16. **निधि में लेन देन.**—निधि में लेन देन प्रशासन समिति की ओर से भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि के प्रशासन समिति के अध्यक्ष के रूप में रक्षा सचिव और भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

17. **संविदाएं.**—सभी संविदाएं और अन्य हस्तान्तरणपत्र प्रशासन समिति के नाम में होंगे और उसकी ओर से प्रशासन समिति के सचिव और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होंगे ।

18. **निधि का प्रयोग.**—प्रशासन समिति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह निधि के धन को निधि के उपर उल्लिखित उद्देश्यों पर खर्च करे ।

19. **निधि का उपयोजन.**—पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रशासन समिति को निधि का नियंत्रण और प्रशासन करने की और उसे या उसके किसी भाग का, जैसा वे निधि के उद्देश्यों के लिए साधक समझें, उपयोजन करने की शक्ति होगी ।

20. **विक्रय और धन का विनिधान.**—प्रशासन समिति भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल को उसमें निहित निधि की किसी सम्पत्ति का विक्रय या अन्यथा उसका व्ययन करने के लिए और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से सम्पत्ति के विक्रय या अन्य व्ययन के आगम को और साथ ही ऐसे धन या सम्पत्ति को, जिसका निधि के उद्देश्यों के लिए तुरंत उपयोग किया जाना अपेक्षित न हो, धन की ऐसी प्रतिभूति में जिसकी प्रशासन समिति द्वारा प्रस्थापना की जाए और जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, या स्थावर सम्पत्ति के क्रय में विनिहित करने के लिए पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 10 के अधीन निदेश देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर सकेगी ।

21. **अतिरिक्त विन्यासों की प्राप्ति.**—प्रशासन समिति निधि के किसी धन या सम्पत्ति की वृद्धि के लिए या निधि के साधारण प्रयोजनों के लिए कोई अतिरिक्त विन्यास, संदान या अन्य अभिदाय प्राप्त कर सकेगी । वह इस स्कीम से संबंधित किसी विशेष प्रयोजन के लिए भी, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हो या उसके सम्यक् कार्यकरण में अड़चन डालने वाला न हो विन्यास, संदान या अन्य अभिदान प्राप्त कर सकेगी ।

[154(52)/61-आई एवं एस-बी]

डी. आर. मित्तल, अवर सचिव

टिप्पणी.—अधिसूचना का अंग्रेजी रूपान्तर रक्षा मंत्रालय की दिनांक 18 मई 1963 के का. नि. आ. संख्या 180 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका है ।

नई दिल्ली, 16 मई, 1973

का. नि. आ. 235.—नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 194 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 235, तारीख 16 जून, 1970 के साथ प्रकाशित नौसेना छुट्टी विनियमन 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का नाम नौसेना छुट्टी (तृतीय संशोधन) विनियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियमों का संशोधन.**—नौसेना छुट्टी विनियम, 1970 में, विनियम 24 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अधिकारी सेवा-निवृत्ति के लंबित रहते निम्नलिखित अवधि के लिए छुट्टी के विकल्प के पात्र होंगे —

(क) छह महीने की अवधि जिसमें उनके खाते की कोई वार्षिक छुट्टी या फरलो सम्मिलित है, या

(ख) पूरे वेतन और भत्तों के साथ चार मास की छुट्टी, जिसमें सेवा-निवृत्ति के लंबित रहते जिस वर्ष में वे छुट्टी पर जाते हैं उस वर्ष की देय वार्षिक छुट्टी सम्मिलित होगी :

परन्तु यदि वार्षिक छुट्टी या उसका कुछ भाग वर्ष में पहले ही उपभोग कर लिया गया है तो सेवा-निवृत्ति-लंबित-छुट्टी तदनुरूपतः कम कर दी जाएगी ।"

[एन. एच. क्यू. केस सं. ए. डी./2412/69]

बी. जे. सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th May, 1973

S.R.O. 295.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations, to amend the Navy Leave Regulations, 1970, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 285 dated the 16th June 1970, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Navy Leave (3rd Amendment) Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to regulations.—In the Navy Leave Regulations 1970, in regulation 24, for sub-regulation (i), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(1) Officers shall be eligible to opt for leave pending retirement for—

(a) a period of six months which shall include any annual leave or furlough to their credit: or

(b) four months leave with full pay and allowance which shall include annual leave due for the year in which they proceed on leave pending retirement:

Provided that if annual leave or a portion thereof is availed of earlier in the year, the leave pending retirement shall be correspondingly reduced."

[NHQ Case No. AD/2412/69.]

B. J. SENGUPTA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1973

का. नि. आ. 296.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, इलाहाबाद की सदस्यता में कप्तान आर. सी. शुक्ला के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं. 19/48/सी/एल एण्ड सी/66/2626-सी-2/डी (क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 18th October, 1973

S.R.O. 296.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Allahabad by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of the Captain R. C. Shukla.

[File No. 19/48/C/I&C/66/2626-C/D(Q&C)]

का. नि. आ. 297.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले. कर्नल. जे. प्रकाश को कप्तान आर. सी. शुक्ला के, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड इलाहाबाद के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं. 19/48/सी/एल एण्ड सी/66/2626-सी-3/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 297.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. J. Prakash has been nominated as a member of the Cantonment Board Allahabad *vice* Captain R. C. Shukla who has resigned.

[File No. 19/48/C/L&C/66/2626-C-1/D(Q&C)]

का. नि. आ. 298.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, देवलाली की सदस्यता में ले. कर्नल. एन. वी. राघवन के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं. 19/12/सी/एल एण्ड सी/65/2628-सी-2/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 298.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Deolali by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. N. V. Raghavan.

[File No. 19/12/C/I.&C/65/2628-C/D(Q&C)]

का. नि. आ. 299.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले. कर्नल. आर. के चोपड़ा को ले. कर्नल. एन. वी. राघवन के, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड देवलाली के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं. 19/12/सी/एल एण्ड सी/65/2628-सी-3/डी (क्यू एण्ड सी)]

एस. पी. मदान, अवर सचिव

S.R.O. 299.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. R. K. Chopra has been nominated as a member of the Cantonment Board Deolali vice Lt. Col. N. V. Raghavan who has resigned.

[File No. 19/12/C/L&C/65/2628-C1-/D(Q&C)]

S. P. MADAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973